न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़
(पीठासीन अधिकारी – श्री प्रमोदकुमार सिंघव आर.ए.एस.)

मिसल नं0 400/प्रार्थना–पत्र/2019
दायरा दि0 13/06/19

उनवान

1. इशिका उर्फ तमन्ना नाबा0 जरिये संरक्षक माता रेखा शर्मा पत्नि गिरधारी जाति ब्राम्हण निवासी चांदपुराचपलाड़ा तह0 खानपुर
2. रेखा शर्मा पत्नि गिरधारी जाति ब्राम्हण निवासी चांदपुराचपलाड़ा तह0 खानपुर

–– प्रार्थीगण

बनाम्

1. गिरधारी पुत्र द्वारकालाल जाति ब्राम्हण निवासी चांदपुराचपलाड़ा तह0 खानपुर
2. महावीर पुत्र द्वारकालाल जाति ब्राम्हण निवासी चांदपुराचपलाड़ा तह0 खानपुर
3. गोकुलप्रसाद पुत्र द्वारकालाल जाति ब्राम्हण निवासी चांदपुराचपलाड़ा तह0 खानपुर
4. नरोत्तम पुत्र द्वारकालाल जाति ब्राम्हण निवासी चांदपुराचपलाड़ा तह0 खानपुर
5. पारवतीबाई पुत्री द्वारकालाल जाति ब्राम्हण निवासी चांदपुराचपलाड़ा तह0 खानपुर
6. गोबरीबाई पुत्री द्वारकालाल जाति ब्राम्हण नि0 चांदपुराचपलाड़ा तह0 खानपुर
7. ज्यानाबाई पुत्री द्वारकालाल जाति ब्राम्हण नि0 बड़वा तह0 अन्ता जिला बांरा
8. नारायण पुत्र प्रभूलाल जाति ब्राम्हण निवासी चांदपुराचपलाड़ा तह0 खानपुर
9. दिनेश उर्फ धनुप पुत्र प्रभूलाल जाति ब्राम्हण नि0 चांदपुराचपलाड़ा तह0खानपुर
10. कैलाशबाई पुत्री प्रभूलाल जाति ब्राम्हण निवासी चांदपुराचपलाड़ा तह0 खानपुर
11. कन्याबाई पुत्री प्रभूलाल जाति ब्राम्हण निवासी चांदपुराचपलाड़ा तह0 खानपुर
12. प्रेमबाई पत्नि बजरंगलाल जाति गुसांई निवासी चांदपुराचपलाड़ा तह0 खानपुर
13. हरिराम पुत्र नैनालाल जाति गूर्जर निवासी चांदपुराचपलाड़ा तह0 खानपुर
14. दयाराम पुत्र नैनालाल जाति गूर्जर निवासी चांदपुराचपलाड़ा तह0 खानपुर
15. मुकुटविहारी पुत्र नैनालाल जाति गूर्जर निवासी चांदपुराचपलाड़ा तह0 खानपुर
16. शाखा प्रवन्धक पंजाव नेशनल वैंक शाखा हरीगढ़ तह0 खानपुर
17. शाखा प्रवन्धक महोदय वड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण वैंक शाखा वाघेर तह0 खानपुर
18. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहव, खानपुर

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थित :– श्री ओमप्रकाश धनौलिया अधिवक्ता – प्रार्थीगण
श्री गिरधारीलाल नागर अधिवक्ता – अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 30/10/2019

प्रार्थना–पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना–पत्र जर्ये अधिवक्ता धारा 212 आर0टी0एक्ट 1955 के अन्तर्गत इस आशय प्रस्तुत किया है कि

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

उपरोक्त उनवान का वाद माननीय न्यायालय मे पेश कर दिया है, जिसमें सफलता मिलने की पूरी पूरी संभावना है। प्रार्थना–पत्र प्राईमा पेशी सही एवं सत्य है। सुविधाओं का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है। ग्राम चांदपुरा चपलाड़ा तह0 खानपुर की जमाबंदी सं0 2075–78 की खाता सं0 113 की 5 किता रकबा 50.15 बीघा आराजी अप्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की है। उपरोक्त आराजियात प्रार्थीया नं0 1 के दादा श्री द्वारकालाल के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की थी। द्वारकालाल की मृत्यु के पश्चात यह आराजी उनके वारिसान अप्रार्थी नं0 1 लगा0 6 के खाते दर्ज हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजी है, जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से अधिकार है। ऐसे में प्रार्थीगण उक्त आराजी को अपने खाते दर्ज करवाने की अधिकारी है। उक्त आराजी में प्रार्थी के दादा द्वारकालाल का 1/4 हिस्सा था, जिसमें प्रार्थी के पिता व प्रार्थी नं0 2 के पति गिरधारी का 1/24 हिस्सा है, जिसमें प्रार्थीगण 1/72, 1/72 हिस्सा बनता है, जिसको प्रार्थीगण अपने खाते दर्ज करवाने की अधिकारी हैं। प्रार्थी नं0 1 ईशिका, प्रार्थी नं0 2 रेखा की संरक्षण में रहती है। प्रार्थी नं0 1 व0 प्रार्थी नं0 2 के हितों में कोई टकराव नहीं है। अप्रार्थी नं0 1 गिरधारीलाल मन्द बुद्धि व्यक्ति है, जिसको अप्रार्थीगण बहला फुसलाकर आराजी का बैचान करने पर आमादा हैं, यदि अप्रार्थी ने आराजी का बैचान कर दिया तो प्रार्थीगण पुश्तैनी आराजी में प्राप्त होने वाले हिस्से से वंचित हो जायेंगे। वाद के पक्षकारान पर हिन्दू विधि लागू होती है, जिसके कारण उक्त आराजी पुश्तैनी होने से प्रार्थीगण का जन्म से ही आराजी में सहदायगी हो जाते है। और उसका शेयर निश्चित हो जाता है, जिसकी घोषणा प्राप्त करने का प्रार्थीगण को अधिकार है। अप्रार्थी आराजी का बैचान करने अथवा अंतरण करने के लिये प्रयासरत हैं, यदि इन्होंने अन्तरण कर दिया जो प्रार्थीगण पुश्तैनी आराजी से प्राप्त होने वाले हिस्से से वंचित हो जायेंगे। इसलिये अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पावंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि वह ग्राम चांदपुरा चपलाड़ा की खाता सं0 113 की 5 किता रकबा 50.15 बीघा आराजी को रहन, बैचान व अंतरण नहीं करें। रेकाड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखें। अन्य सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे अता फरमायी जावे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थी नं0 2, 3, 4, 6 की ओर से श्री गिरधारीलाल नागर एडवोकेट ने वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि अप्रार्थी नं0 1 गिरधारी के हिस्से में प्रार्थीगण ने अपना अधिकार सुरक्षित रखने हेतु यह प्रार्थना–पत्र पेश किया है। शेष अप्रार्थीगण से प्रार्थीया द्वारा कोई प्रार्थना(रिलीफ) नहीं चाही गयी है। अप्रार्थी नं0 1 गिरधारी के हिस्से 1/24 पर स्थगन आदेश माननीय न्यायालय द्वारा जारी किये जाने में इन अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा शेष अप्रार्थीगण के खिलाफ कोई प्रार्थना नहीं चाही गयी है, इसलिये अप्रार्थी नं0 1 के अलावा अन्य अप्रार्थीगण के खिलाफ किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। वकुलाय फरीकेन की सहमति से प्रार्थना–पत्र पर बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को

Scanned by CamScanner

दोहराते हुये प्रकट किया कि हमने उपरोक्त उनवान का वाद माननीय न्यायालय में पेश कर दिया है, जिसमें सफलता मिलने की पूरी पूरी संभावना है। प्रार्थना–पत्र प्राईमा पेशी सही एवं सत्य है। सुविधाओं का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। ग्राम चांदपुरा चपलाड़ा तह0 खानपुर की जमाबंदी सं0 2075–78 की खाता सं0 113 की 5 किता रकबा 50.15 बीघा आराजी अप्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की है, जो पूर्व में प्रार्थीया नं0 1 के दादा द्वारकालाल की संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की थी। इनकी मृत्यु के पश्चात यह आराजी उनके वारिसान अप्रार्थी नं0 1 लगा0 6 के खाते दर्ज हुई है। इस प्रकार यह आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजी है, जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से अधिकार है। इस आराजी में प्रार्थी के दादा द्वारकालाल का 1/4 हिस्सा था, जिसमें प्रार्थी के पिता व प्रार्थी नं0 2 के पति गिरधारी का 1/24 हिस्सा है, जिसमें प्रार्थीगण 1/72, 1/72 हिस्सा बनता है, जिसको प्रार्थीगण अपने खाते दर्ज करवाने की अधिकारी हैं। प्रार्थी नं0 1 ईशिका, प्रार्थी नं0 2 रेखा की संरक्षण में रहती है, जिनके हितों में कोई टकराव नहीं है। अप्रार्थी नं0 1 गिरधारीलाल मन्द बुद्धि व्यक्ति है, जिसको अप्रार्थीगण बहला फुसलाकर आराजी का बैचान करने पर आमादा हैं, यदि अप्रार्थी ने आराजी का बैचान कर दिया तो प्रार्थीगण पुश्तैनी आराजी में प्राप्त होने वाले हिस्से से वंचित हो जायेंगे। वाद के पक्षकारान पर हिन्दू विधि लागू होती है, जिसके कारण उक्त आराजी पुश्तैनी होने से प्रार्थीगण का जन्म से ही आराजी में सहदायगी हो जाते है। अप्रार्थी आराजी को बैचने के लिये आमादा हैं, यदि यह इसमें सफल हो जाते हैं तो प्रार्थीगण पुश्तैनी आराजी से प्राप्त होने वाले अपने हिस्से से वंचित हो जायेंगे। इसलिये ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि वह ग्राम चांदपुरा चपलाड़ा की 5 किता रकबा 50.15 बीघा आराजी को रहन, बैचान व अंतरण नहीं करें। रेकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखें।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थी नं0 1 गिरधारी के हिस्से में प्रार्थीगण ने अपना अधिकार सुरक्षित रखने हेतु यह प्रार्थना–पत्र पेश किया है। इनके द्वारा शेष अप्रार्थीगण से कोई रिलीफ नहीं चाही गयी है। अप्रार्थी नं0 1 गिरधारी के हिस्से 1/24 पर स्थगन आदेश जारी किये जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा शेष अप्रार्थीगण के खिलाफ कोई रिलिफ नहीं चाही गयी है। ऐसे में अप्रार्थी नं0 1 के अलावा अन्य अप्रार्थीगण के खिलाफ किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण ने धारा 212 आर0टी0एक्ट 1955 के अन्तर्गत प्रार्थना –पत्र प्रस्तुत किया है कि ग्राम चांदपुरा चपलाड़ा तह0 खानपुर की जमाबंदी सं0 2075–78 की खाता सं0 113 की 5 किता रकबा 50.15 बीघा जो अप्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की है। यह आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी सम्पत्ति है। प्रार्थी नं0 1, अप्रार्थी नं0 1 की संतान होने एवं जन्म से हिन्दू होने से इस पुश्तैनी आराजी में हिन्दू विधि के अनुसार जन्म से अधिकार प्राप्त है। इस आराजी में प्रार्थी के दादा द्वारकालाल का 1/4 हिस्सा था, द्वारकालाल की मृत्यु होने पर यह अप्रार्थी नं0 1 लगा0 6 के खाते दर्ज हुई है, जिसमें प्रार्थी नं0 1 के पिता एवं प्रार्थी नं0 2 के पति अप्रार्थी नं0 1 गिरधारी का 1/24 हिस्सा है। ऐसे में प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी में 1/72, 1/72 हिस्सा बनता है और इस हिस्से की उदघोषणा का वाद न्यायालय में जैरकार है। प्रार्थीगण का

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

यह भी कथन है कि अप्रार्थी नं0 1 अपने परिवारजनों के बहकावे में आकर अपने हिस्से का बैचान करने पर आमादा है, यदि यह अपने मन्सूबे में कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। ऐसे में अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि वह ग्राम चांदपुरा चपलाड़ा की 5 किता रकबा 50.15 बीघा आराजी का रहन, बैचान व अंतरण नहीं करें। रेकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखें।

अप्रार्थीगण ने अपने जवाब एवं बहस में प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र पर सहमति प्रकट करते हुये निवेदन किया है कि अप्रार्थी नं0 1 गिरधारी के हिस्से में प्रार्थीगण ने अपना अधिकार सुरक्षित रखने हेतु यह प्रार्थना–पत्र पेश किया है। इनके द्वारा शेष अप्रार्थीगण से कोई रिलीफ नहीं चाही गयी है। अप्रार्थी नं0 1 गिरधारी के हिस्से 1/24 पर स्थगन आदेश जारी किये जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा शेष अप्रार्थीगण के खिलाफ कोई रिलिफ नहीं चाही गयी है। ऐसे में अप्रार्थी नं0 1 के अलावा अन्य अप्रार्थीगण के खिलाफ किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है।

यहां अप्रार्थीगण के जवाब से यह स्पष्ट हो जाता है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी सम्पत्ति है तथा प्रार्थी नं0 1 ईशिका, अप्रार्थी नं0 1 की पुत्री होने से हिन्दू विधि के अनुसार इसका अप्रार्थी नं0 1 के 1/24 हिस्से में जन्म से हक अधिकार बनता है। ऐसे में प्रथम दृष्टिया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है और सुविधाओं का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में ही है। जब प्रथम दृष्टिया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है और सुविधाओं का संतुलन भी इनके पक्ष में है तो अप्रार्थी नं0 1 यदि अपने हिस्से का रहन, बैचान कर देता है तो अपूरणीय क्षति भी अप्रार्थीगण को न होकर प्रार्थीगण को ही संभावित है। चूँकि प्रार्थीगण ने अप्रार्थी नं0 1 से ही अनुतोष चाहा है। ऐसे में यहां हम प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी नं0 1 को ताफैसला वाद जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द करना न्यायोचित समझते हैं। इस स्तर पर केवल केस को प्रथम दृष्टिया निर्धारित करना है, और प्रथम दृष्टिया केस प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है। प्रार्थीगण के हक हकूक वाद सुनवाई, साक्ष्य सबूत के गुणावगुण के आधार पर दावे में तय होगें।

अतः प्रार्थना–पत्र, प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी नं0 1 को ताफैसला वाद जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वह ग्राम चांदपुराचपलाड़ा तह0 खानपुर की जमावंदी सं0 2075–78 की खाता सं0 113 की 5 किता रकबा 50.15 बीघा आराजी में स्थित अपने 1/24 हिस्से को रहन बैचान व अंतरण नहीं करें। साथ ही अप्रार्थी नं0 1 अपने इस 1/24 हिस्से के संबंध में राजस्व रेकार्ड की वर्तमान स्थिति को यथावत बनाये रखें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तागील तकमील मूल वाद के संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 30/10/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar Sindhav
Date: 2019.11.06 14:44:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: